संख्या-192/2016/1392/ 38-1-2016-3569/2016

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-1 दिनांक: 01 अगस्त, 2016

विषय: प्रदेश में खण्ड स्तरीय विकास प्रशासन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में मध्य स्तरीय पंचायती विकास व्यवस्था की विकास खण्ड सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। विकास खण्ड की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न विभागों के समन्वय से एक समेकित एवं गतिशील विकास व्यवस्था उपलब्ध कराना है। विकास की गति और तेज करने के लिए आवश्यक है कि खण्ड विकास अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के खण्ड स्तरीय अधिकारी में बेहतर समन्वय हो। उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं:-

(1) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 92 (4 व 5) तथा 52 (2 व 4) में निहित प्रावधानों के अनुरूप खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड में तैनात ग्राम्य विकास, पंचायती राज, सहकारिता, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लघु सिंचाई, समाज कल्याण, युवा कल्याण, अर्थ एवं संख्या तथा क्षेत्र पंचायत स्तर पर नियोजित अन्य सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नियंत्रक प्राधिकारी होंगे। उक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी विकास खण्ड की उपस्थिति पंजिका में प्रतिदिन हस्ताक्षर करेंगे तथा आकस्मिक अवकाश एवं भ्रमण कार्यक्रमों पर स्वीकृति खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त करेंगे।

(2) विकास खण्ड कार्यालय एक एकीकृत कार्यालय है तथा वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी के रूप में खण्ड विकास अधिकारी उसके कार्यालय अध्यक्ष हैं। विकास खण्ड कार्यालय के अन्तर्गत सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उनके कार्यो के निष्पादन हेतु कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु उन्हें कार्यालय अध्यक्ष का अधिकार नहीं होगा।

(3) प्रदेश में नियमित ग्राम विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों (पंचायत सचिव) की कमी के दृष्टिगत वर्तमान में कई ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिव के दायित्वों तथा कई ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के दायित्वों को निभाया जा रहा है। उक्त दोहरा दायित्व निभाने वाले ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी उनके द्वारा पंचायत सचिव के रूप में किये गये कार्यो हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के प्रति तथा ग्राम्य विकास के अन्य कार्यो हेतु सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी के प्रति उत्तरदायी एवं जबाबदेह होंगे।

(4) खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड के अन्तर्गत चल रही सभी योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कर सकेंगे तथा सभी योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।

(5) वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारी की भर्ती के पदोन्नति कोटे में मात्र ग्राम्य विकास, सहकारिता तथा अर्थ एवं संख्या विभाग को कोटा प्रदान किया गया है, जबकि पंचायतों के अत्यधिक नजदीक से जुड़े

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

होने के कारण पंचायती राज विभाग की सहभागिता की भी आवश्यकता है। अत: खण्ड विकास अधिकारी की भर्ती में पदोन्नति कोटे में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) संवर्ग का कोटा निर्धारित करने एवं पदोन्नति का प्राविधान करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

(1)	कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, पंचायती राज	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की भर्ती में पदोन्नति कोटे में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) संवर्ग का पदोन्नति का कोटा निर्धारण के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति 01 माह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर सम्बन्धित सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

भवदीय,

दीपक सिंघल
मुख्य सचिव

संख्या-192/2016/1392(1) / 38-1-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त उपायुक्त (श्रम रोजगार/स्वत: रोजगार) उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in